

FAMILY BENEFIT WELFARE SCHEME

DETAILS OF THE "FAMILY BENEFIT WELFARE SCHEME" FOR THE INDIAN SEAFARERS WITH EFFECT FROM 01.01.2019.

1. Pursuant to the objects of the Seafarers' Welfare Fund Society (hereinafter referred to as the Society) as defined in Article 3(XV) of the Memorandum of Association of the Society, the Indian seafarer as being eligible in terms of provisions of the rule 3 herein below, may be provided the financial assistance under "FAMILY BENEFIT WELFARE SCHEME" from 1st January 2019 under the circumstances and to the extent detailed herein below.
2. Such financial assistance to the Indian seafarer shall be provided, for the successful completion of Pre-sea training course or Post-graduation degree/diploma as given below, by their son/daughter. At the absolute discretion of the society such financial assistance, may be dispensed with and / or curtailed or enhanced, suspended or completely withdrawn at any time without any prior notice. The availability of such financial assistance under the "Family Benefit welfare scheme" to the eligible Indian seafarer does not in any manner confer or create any prescriptive right whatsoever and shall not be called in question.
3. Such financial assistance shall be provided to the Indian seafarer-
 - (a) Whose son/daughter successfully completes the Pre-sea training course (GP rating/CCMC/Deck & Engine Cadet including ETO), on or after 1.1.2019, from the Institute approved by the Directorate General of Shipping, Govt. of India and obtains the Indian CDC for joining seafaring profession.
 - (b) Whose son/daughter successfully completes two years full-time post-graduation degree/diploma in any discipline other than Maritime stream, on or after 1.1.2019, from duly approved University by UGC/Deemed University/AICTE approved institute.
4. **Eligibility:** The scheme is applicable to the Indian seafarer, who fulfils all the following conditions and is restricted to two children only.
 - (i) He / She should have cumulative 6 months sea service after 01.04.2014, preceding five years from the date of submission of claim application.
 - (ii) He / She should have joined Indian flag vessel or engaged through registered RPS License holding company on Indian or Foreign flag vessel; and
 - (iii) He / She should have an Indian CDC.

5. Quantum:

The quantum of financial assistance under this scheme shall be as under.

- (a) Where Indian Seafarer's son/daughter completes the Pre-sea training course & obtains the Indian CDC, the financial assistance under this scheme shall be Rs.25,000/- (Rupees Twenty five Thousand Only) in respect of son & Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) in respect of daughter and it will be provided to the seafarer.

(b) Where Indian Seafarer's son/daughter completes the two years full time post-graduation degree/diploma course in any discipline other than Maritime stream, the financial assistance under this scheme shall be Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand Only) in respect of son & Rs.15,000/- (Rupees Fifteen Thousand Only) in respect of daughter and it will be provided to the seafarer.

6. The Society may approach the Indian ship-owners/registered RPS Company concerned to obtain such particulars as may be necessary, for the purpose of payment of financial assistance envisaged under this scheme.

7. To receive the benefit under this scheme only such applications will be entertained which are submitted to the Seafarers' Welfare Fund Society within a period of twelve months after completion of course.

8. Application for financial assistance under this scheme is to be made in the prescribed form along with self - attested copy of latest CDC book & copies of certificates.

9. Notwithstanding anything contained herein above in all doubtful/disputed and/or exceptional cases, the Committee of Management of the SWFS may examine and decide the cases, on case to case basis and its decision shall be final.

Note 1: The Committee of Management (COM) in its meeting dated 12/03/2025 has decided to provide the same amount, at par to the Children of seafarers. i.e. (i) Rs. 50,000/- for completion of pre-sea training course (ii) Rs. 25,000/- for passing post-graduate two years full time degree / diploma from the University approved by the UGC / Deemed University / AICTE approved institute w.e.f. 01/04/2025. The other terms & conditions of this 'Family Benefit Schemes' remains same.

Note 2: The Committee of Management (COM) in its meeting dated 27/01/2026 has decided to provide the same amount, at par to the Children of seafarers. i.e. (i) Rs. 1,00,000/- for completion of pre-sea training course (ii) Rs. 50,000/- for passing post-graduate two years full time degree / diploma from the University approved by the UGC / Deemed University / AICTE approved institute w.e.f. 01/04/2025. The other terms & conditions of this 'Family Benefit Schemes' remains same.

SEAFARERS' WELFARE FUND SOCIETY

(Autonomous Body of Ministry of Ports, Shipping and Waterways Government of India)

Nau Bhavan Building, Ground Floor, R. K. Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001

Mob No. 8097552900 / 8097553700.

Email- swfs.dgs@govcontractor.nic.in / swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

APPLICATION FORM FOR FINANCIAL ASSISTANCE UNDER **'FAMILY BENEFIT SCHEME'**

(ON COMPLETION OF POST-GRADUATE DEGREE/DIPLOMA COURSE BY SON / DAUGHTER)
(Please refer notes given on next page before submitting this application form.)

1.	Seafarer's name in full (As per CDC Book)	Mr./Mrs./Ms. _____	
2.	CDC number		
3.	Name of Son/Daughter (for whom claim submitted)		
4.	Post-Graduation Degree/Diploma Obtained (Two years Full time course)		
5.	Name of University/Institute		
6.	Date of completion of course		
7.	The Name of the vessel last Sign-off by the seafarer	Date of sign-off	
8.	Indian ship-owners Co. name OR Recruitment & Placement Service (RPS) provider name RPSL No. & it's Registration No		
9.	Correspondence address		
10.	Telephone No/Mobile No.		
11.	E-mail address		

I, wish to inform you that my son / daughter Mr./Ms _____ has successfully completed the _____ (name of the two years full time Post-graduate Degree/Diploma course) form _____ (name of University / Deemed University approved by UGC/Institute approved by AICTE).

I now request you to grant me, the financial assistance under the 'Family Benefit Scheme' SWF Society's rules as applicable for the scheme. I am supporting herewith following document, to receive the claim under the scheme.

- Self - attested copy of latest CDC book (of the applicant seafarer).
- Self -attested copy of the Certificate issued by the University / Institute, which is approved by UGC / AICTE, along with the copy of mark sheet.

I give below my Bank account details. (Bank details are mandatory, without which the application will not be processed.)

Details of the bank, where the financial assistance amount to be credited (mandatory) :

Name of the bank	Branch Name	Branch address	S.B. A/c no.	Branch IFSC code

(Note: Attach a legible copy of the front page of Bank pass book of SB account Or original cancelled cheque showing applicant's name and bank details)

I declare that I am claiming this financial assistance on the strength of the documents submitted as above, and at later date, if it is proved, that I am not the actual beneficiary, or my claim was found dishonest, I undertake to refund the financial assistance in full to the SWF Society.

Place :

Date :

.....
(Applicant's Signature or Thumb Impression)

Name of Applicant:

Note 1: This scheme is applicable only for Indian seafarers, whose son/daughter successfully completed the two years post graduate degree / diploma course on or after 1.1.2019 from the UGC approved University / AICTE approved Institute.

Note 3: The applicant seafarer should have Indian CDC and has performed cumulative six months sea service after 1.4.2014, preceding five years from the date of submission of claim application, from India flag vessel or engaged through registered RPS License holding company on Indian / Foreign Flag vessel.

Note 2: The application for financial assistance should be received by the Society within twelve months period from the date of successful completion of course.

FOR S.W.F.S. OFFICE USE ONLY

Application No.

Documents attached verified and the applicant found eligible / not eligible under 'Family Benefit Scheme' for financial assistance of Rs. (Rs. _only)

Checked by D.A.

Verified by (A.A.O.)

Recommended by (CAAO)

Approved by MT/MS.

SEAFARERS' WELFARE FUND SOCIETY

(Autonomous Body of Ministry of Ports, Shipping and Waterways Government of India)

Nau Bhavan Building, Ground Floor, R. K. Marg, Ballard Estate, Mumbai-400 001

Mob No. 8097552900 / 8097553700,

Email- swfs.dgs@govcontractor.nic.in / swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

APPLICATION FORM FOR FINANCIAL ASSISTANCE UNDER ' FAMILY BENEFIT SCHEME'

(ON COMPLETION OF PRE-SEA TRAINING COURSE BY SON / DAUGHTER OF SEAFARER)

(Please refer notes given on next page before submitting this application form.)

1.	Seafarer's name in full (As per CDC Book)	:	Mr./Mrs./Ms. _____
2.	CDC number	:	
3.	Name of Son/Daughter (for whom claim submitted)	:	
4.	Pre-Sea training course & Institute Name)	:	
5.	Date of completion of course	:	
6.	CDC No. of son/daughter	:	
7.	Date of sign-off	:	
8.	Indian ship-owners Co. name OR Recruitment & Placement Service (RPS) provider name RPSL No. & it's Registration No	:	
9.	Correspondence address	:	
10.	Telephone No/Mobile No.	:	
11.	E-mail address	:	

I, the undersigned, wish to inform you that my son / daughter has completed the Pre-sea training course on _____ and obtained Indian CDC No. _____ on _____

I now request you to grant me, the financial assistance under the 'Family Benefit Scheme' SWF Society's rules as applicable for the scheme. I am supporting herewith following document, to receive the claim under the scheme.

- (c) Self - attested copy of latest CDC book (of the applicant seafarer).
- (d) Self -attested copy of the Certificate for completion of Pre-sea training course, issued by the Institute, which is approved by the Directorate General of Shipping.
- (e) Self-attested copy of the Indian CDC Book obtained by the Seafarer's son/daughter.

P.T.O..... 2.

I give below my Bank account details. (Bank details are mandatory, without which the application will not be processed.)

Details of the bank, where the financial assistance amount to be credited (mandatory) :

Name of the bank	Branch Name	Branch address	S.B. A/c no.	Branch IFSC code

(Note: Attach a legible copy of the front page of Bank pass book of SB account Or original cancelled cheque showing applicant's name and bank details)

I declare that I am claiming this financial assistance on the strength of the documents submitted as above, and at later date, if it is proved, that I am not the actual beneficiary, or my claim was found dishonest, I undertake to refund the financial assistance in full to the SWF Society.

Place:

Date:

.....
(Applicant's Signature or Thumb Impression)

Name of Applicant:

Note 1: This scheme is applicable only for Indian seafarers; whose son/daughter has successfully completed the pre-sea training course on or after 1.1.2019 from the DGS approved Institute and obtained the Indian CDC for pursuing the seafaring profession.

Note 2: The application for financial assistance should be received by the Society within twelve months period from the date of successful completion of course.

FOR S.W.F.S. OFFICE USE ONLY

Application No.

Documents attached verified and the applicant found eligible / not eligible under 'Family Benefit Scheme' for financial assistance of Rs.

(Rs. only)

Checked by D.A.

Verified by (A.A.O.)

Recommended by (CAAO)

Approved by MT/MS.

परिवार कल्याण योजना लाभ

01.01.2019 से प्रभावी भारतीय नाविकों के लिए "परिवार कल्याण योजना" का विवरण।

1. सोसाइटी के एसोसिएशन के ज्ञापन के अनुच्छेद 3(XV) में परिभाषित सोसाइटी के नाविक कल्याण निधि सोसाइटी (जिसे इसके बाद सोसाइटी के रूप में संदर्भित किया गया है) के उद्देश्यों के अनुसार, भारतीय नाविक जो यहां नीचे नियम 3 के प्रावधानों के संदर्भ में पात्र है, उसे यहां नीचे दिए गए परिस्थितियों और सीमा तक "परिवार कल्याण योजना" के तहत पहली जनवरी 2019 से वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

2. भारतीय नाविक को इस प्रकार की वित्तीय सहायता, उनके बेटे/बेटी द्वारा नीचे दिए गए अनुसार प्री-सी ट्रेनिंग कोर्स या पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री/डिप्लोमा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रदान की जाएगी। सोसाइटी के पूर्ण विवेक पर, ऐसी वित्तीय सहायता, बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय, बंद या कम या बढ़ाई जा सकती है, निलंबित या पूरी तरह से वापस ली जा सकती है। पात्र भारतीय नाविक को "परिवार कल्याण योजना" के तहत इस तरह की वित्तीय सहायता की उपलब्धता किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का निर्देशात्मक अधिकार प्रदान नहीं करती है और प्रश्न नहीं किया जाएगा।

3. भारतीय नाविक को ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी

(क) जिसका बेटा/बेटी नौवहन व्यवसाय में शामिल होने के लिए नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थान से 1.1.2019 से या उसके बाद प्री-सी ट्रेनिंग कोर्स (जीपी रेटिंग/सीसीएमसी/डेक और इंजन कैडेट सहित ईटीओ) सफलतापूर्वक पूरा करता है और भारतीय सीडीसी प्राप्त करता है।

(ख) जिसका बेटा/बेटी समुद्रीय पाठ्यक्रम के अलावा किसी भी विषय में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा 1.1.2019 को या उसके बाद यूजीसी/डीम्ड विश्वविद्यालय/एएलसीटीई अनुमोदित संस्थान द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय से सफलतापूर्वक दो वर्ष पूर्ण करता है,

4. **पात्रता:** यह योजना भारतीय नाविक पर लागू होती है, जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है और केवल दो बच्चों तक ही सीमित है।

(i) उसे दावा आवेदन जमा करने की तारीख से पिछले पांच (5) वर्षों के दौरान न्यूनतम छह (6) महीने की संचयी समुद्री सेवा पूरी करनी चाहिए।

(ii) उसे भारतीय ध्वज पोत में शामिल होना चाहिए या भारतीय या विदेशी ध्वज पोत पर पंजीकृत आरपीएस लाइसेंस धारक कंपनी के माध्यम से नियुक्त होना चाहिए; और

(iii) उसके पास भारतीय सीडीसी होना चाहिए।

5. **राशि:** इस योजना के तहत वित्तीय सहायता की मात्रा निम्नानुसार होगी।

(क) जहां भारतीय नाविक का बेटा/बेटी प्री-सी ट्रेनिंग कोर्स पूरा करता है और भारतीय सीडीसी प्राप्त करता है, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता बेटे के लिए 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) और बेटी के लिए 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) होगी और यह नाविक को प्रदान की जाएगी।

(ख) जहां भारतीय नाविक का बेटा/बेटी समुद्रीय पाठ्यक्रम के अलावा किसी भी विषय में दो साल की पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करता है, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता नाविक के बेटे के लिए 10,000 रुपये (दस हजार रुपये मात्र) और बेटी के लिए 15,000 रुपये (पंद्रह हजार रुपये मात्र) प्रदान की जाएगी।

6. सोसाइटी इस योजना के तहत परिकल्पित वित्तीय सहायता के भुगतान के प्रयोजन के लिए आवश्यक विवरण प्राप्त करने के लिए संबंधित भारतीय पोत-मालिकों/पंजीकृत आरपीएस कंपनी से संपर्क कर सकती है।

7. इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए केवल ऐसे आवेदन स्वीकार किए जाएंगे जो पाठ्यक्रम पूरा होने के बारह महीने की अवधि के भीतर नाविक कल्याण निधि सोसायटी को प्रस्तुत किए जाते हैं।

8. इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में नवीनतम सीडीसी पुस्तक की स्व-सत्यापित प्रति और प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ किया जाना है।

9. उपर्युक्त किसी भी बात के बावजूद सभी संदिग्ध/विवादित और/या असाधारण मामलों में, एसडब्ल्यूएफएस की प्रबंधन समिति मामले की जांच और मामले के आधार पर निर्णय ले सकती है और उसका निर्णय अंतिम होगा।

टिप्पणी 1: प्रबंधन समिति (सीओएम) ने अपनी दिनांक 12/03/2025 की बैठक में नाविकों के बच्चों को समान राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। अर्थात् (i) समुद्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के पूरा होने के लिए रु. 50,000/- (ii) यूजीसी/डीम्ड विश्वविद्यालय/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान से पोस्ट-ग्रेजुएट दो वर्षीय पूर्णकालिक डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के लिए रु. 25,000/- 01/04/2025 से प्रभावी। इस 'पारिवारिक लाभ योजनाओं' की अन्य शर्तें और नियम समान रहेंगे।

टिप्पणी 2: प्रबंधन समिति (सीओएम) ने अपनी दिनांक 27/01/2026 की बैठक में नाविकों के बच्चों को समान राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। अर्थात् (i) समुद्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के पूरा होने के लिए रु. 1,00,000/- (ii) यूजीसी/डीम्ड विश्वविद्यालय/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान से दो साल की पूर्णकालिक डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के लिए रु. 50,000/- 01/04/2025 से प्रभावी है। इस 'पारिवारिक लाभ योजनाओं' की अन्य शर्तें और नियम समान रहेंगे।

नाविक कल्याण निधि सोसायटी

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)

नौ भवन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, आर. के. मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001

मोबाइल नं. 8097552900/8097553700

ईमेल- swfs.dgs@govcontractor.nic.in/swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र 'परिवार लाभ योजना'

(स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पूरा होने पर बेटे/बेटी द्वारा)

(कृपया इस आवेदन पत्र को जमा करने से पहले अगले पृष्ठ पर दिए गए नोट्स देखें)

1.	नाविक का पूरा नाम (सीडीसी बुक के अनुसार)	श्री/श्रीमती_____	
2.	सीडीसी नंबर		
3.	बेटे/बेटी का नाम (जिसके लिए दावा प्रस्तुत किया गया है)		
4.	स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त (दो साल का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम)		
5.	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम		
6.	पाठ्यक्रम पूरा होने की तिथि		
7.	अंतिम जलयान का नाम नाविक द्वारा हस्ताक्षर	साइन ऑफ की तिथि	
8.	भारतीय पोत-मालिकों कंपनी का नाम या भर्ती और नियोजन सेवा (आरपीएस) प्रदाता का नाम आरपीएसएल नंबर और इसका पंजीकरण नंबर		
9.	पत्राचार का पता		
10.	टेलीफोन नं/मोबाइल नं.		
11.	ई-मेल पता		

मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे बेटे/बेटी श्री_____/एमएस ने सफलतापूर्वक (विश्वविद्यालय का नाम) से (दो साल का पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम का नाम)_____ पूरा कर लिया है / यूजीसी द्वारा अनुमोदित डीम्ड विश्वविद्यालय/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान)।

मैं अब आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे योजना के लिए लागू 'परिवार लाभ योजना' एसडब्ल्यूएफ सोसाइटी के नियमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करें। मैं योजना के तहत दावा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज के साथ समर्थन कर रहा हूं।

(a) नवीनतम सीडीसी पुस्तक की स्व-सत्यापित प्रति (आवेदक नाविक की)।

(b) विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति, जो यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित है, अंक पत्र की प्रति के साथ।

मैं नीचे अपना बैंक खाता विवरण देता हूँ। (बैंक विवरण अनिवार्य हैं, जिसके बिना आवेदन संसाधित नहीं किया जाएगा.)

बैंक का विवरण, जहां वित्तीय सहायता राशि जमा की जानी है (अनिवार्य):

बैंक का नाम	शाखा का नाम	शाखा का पता	एसबीए/सी नंबर।	शाखा आईएफएससी कोड

(टिप्पणी: आवेदक का नाम और बैंक विवरण दिखाने वाली एसबी खाते की बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की एक सुपाठ्य प्रति या मूल रद्द चेक संलग्न करें)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं उपरोक्त रूप से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इस वित्तीय सहायता का दावा कर रहा हूँ, और बाद की तारीख में, यदि यह साबित हो जाता है कि मैं वास्तविक लाभार्थी नहीं हूँ, या मेरा दावा बेईमान पाया गया था, तो मैं एसडब्ल्यूएफ सोसायटी को पूरी वित्तीय सहायता वापस करने का वचन देता हूँ।

स्थान : _____

तिथि: _____

-

आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

आवेदक का नाम: _____

टिप्पणी 1: यह योजना केवल भारतीय नाविकों के लिए लागू है, जिनके बेटे/बेटी ने यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान से 1.1.2019 को या उसके बाद दो साल की स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पणी 2: आवेदक नाविक के पास भारतीय सीडीसी होना चाहिए और दावा आवेदन, फॉर्म इंडिया फ्लैग वेसल जमा करने की तारीख से पांच वर्ष पहले 1.4.2014 के बाद छह महीने की संचयी समुद्री सेवा की होनी चाहिए।/पंजीकृत आरपीएस लाइसेंस धारक कंपनी के माध्यम से भारतीय/विदेशी ध्वज पोत पर कार्यरत।

टिप्पणी 3: वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पाठ्यक्रम के सफल समापन की तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर सोसायटी द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

केवल एस.डब्ल्यू.एफ.एस. कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन संख्या।

संलग्न दस्तावेजों को सत्यापित किया गया और आवेदक को रुपये की वित्तीय सहायता के लिए 'पारिवारिक लाभ योजना' के तहत योग्य/अक्षम पाया गया। (रु. _____ केवल) _____

नाविक कल्याण निधि सोसायटी

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त निकाय)

नौ भवन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, आर. के. मार्ग, बलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001

मोबाइल नं. 8097552900/8097553700.

[ईमेल- swfs.dgs@govcontractor.nic.in/swfs.srassit-dgs@govcontractor.nic.in](mailto:swfs.dgs@govcontractor.nic.in)

के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र

(नाविक की बेटे / बेटा द्वारा प्री-सीए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने पर)

(कृपया इस आवेदन पत्र को जमा करने से पहले अगले पृष्ठ पर दिए गए नोट्स देखें)

1.	नाविक का पूरा नाम (सीडीसीडीसी बुक के अनुसार)	:	श्री/श्रीमती _____
2.	सीडीसी नंबर	:	
3.	बेटे/बेटा का नाम (जिसके लिए दावा प्रस्तुत किया गया है)	:	
4.	पूर्व-समुद्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और संस्थान का नाम	:	
5.	पाठ्यक्रम पूरा होने की तिथि	:	
6.	बेटे/बेटा संख्या की सीडीसी	:	
7.	साइन ऑफ की तिथि	:	
8.	भारतीय पोत-मालिकों का नाम या भर्ती और नियुक्ति सेवा (आरपीएस) प्रदाता का नाम आरपीएसएल नं. और यह पंजीकरण संख्या	:	
9.	पत्राचार का पता	:	
10.	टेलीफोन नं/मोबाइल नं।	:	
11.	ई-मेल पता	:	

मैं, अधोहस्ताक्षरी, आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे बेटे/बेटा ने प्री-सी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और भारतीय सीडीसी नंबर प्राप्त _____ कर लिया है

मैं अब आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे 'परिवार लाभ योजना' एसडब्ल्यूएफ सोसाइटी के नियमों के तहत लागू योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें। मैं योजना के तहत दावा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ के साथ समर्थन कर रहा हूँ।

(c) नवीनतम सीडीसी पुस्तक की स्व-सत्यापित प्रति (आवेदक नाविक की)।

(d) पूर्व-समुद्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति, जो नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित है।

(e) नाविक के बेटे/बेटा द्वारा प्राप्त भारतीय सीडीसी पुस्तक की स्व-सत्यापित प्रति।

मैं नीचे अपना बैंक खाता विवरण देता हूँ। (बैंक विवरण अनिवार्य हैं, जिसके बिना आवेदन संसाधित नहीं किया जाएगा.)

बैंक का विवरण, जहां वित्तीय सहायता राशि जमा की जानी है (अनिवार्य):

बैंक का नाम	शाखा का नाम	शाखा का पता	एसबीए/सी नंबर।	शाखा आईएफएससी कोड

(टिप्पणी: आवेदक का नाम और बैंक विवरण दिखाने वाली एसबी खाते की बैंक पास बुक के पहले पृष्ठ की एक सुपाठ्य प्रति या मूल रद्द चेक संलग्न करें)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैं उपरोक्त रूप से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इस वित्तीय सहायता का दावा कर रहा हूँ, और बाद की तारीख में, यदि यह साबित हो जाता है कि मैं वास्तविक लाभार्थी नहीं हूँ, या मेरा दावा बेईमान पाया गया था, तो मैं एसडब्ल्यूएफ सोसायटी को पूरी वित्तीय सहायता वापस करने का वचन देता हूँ।

स्थान: _____

तिथि: _____

(आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

आवेदक का नाम: _____

टिप्पणी 1: यह योजना केवल भारतीय नाविकों के लिए लागू है; जिनके बेटे/बेटी ने नौमनि द्वारा अनुमोदित संस्थान से 1.1.2019 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और नाविक को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सीडीसी प्राप्त किया है।

टिप्पणी 2: वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पाठ्यक्रम के सफल समापन की तारीख से बारह महीने की अवधि के भीतर सोसायटी द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

केवल एस.डब्ल्यू.एफ.एस. कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन संख्या।

संलग्न दस्तावेजों को सत्यापित किया गया और आवेदक को रुपये की वित्तीय सहायता के लिए 'पारिवारिक लाभ योजना' के तहत योग्य/अक्षम पाया गया।_____.

(रु. _____केवल)